कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/ नियुक्ति/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 17.06.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से व्याख्याता हिन्दी के पद पर चयनोपरान्त मोनिका कुमारी मेरिट सं. 208 का काउसंलिग के द्वारा पदस्थापन व्या. हिन्दी के पद पर राउमावि नेवरी–उदयपुरवाटी, झुंझुनूं में पदस्थापन किया गया था।

मोनिका कुमारी के द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नियुक्ति/आरपीएससी–15/2017 दिनांक 17.06.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 19250/2018 दायर की गई। जिसमे याची ने गुहार की कि उनकी काउसलिंग दिनांक–17.06.2017 को आयोजित की गई जिसमे उन्हें उदयपुरवाटी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया जबकि उसके पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक–01.08.18 को जारी नवीनतम परिणाम में उनसे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों की दिनाक–24.08.18 को आयोजित काउसलिंग में उन्हें झुंझुनूं ब्लॉक में पदस्थापित किया गया, अतः मुझे भी झुंझुनूं ब्लॉक में पदस्थापन मिलना चाहिए ।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक–28.08.18 को निर्णय पारित करते हुए याचिकार्थिया को विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थी विभाग को उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नियमानुसार करने के निर्देश प्रदान किये ।

माननीय न्यायालय के निर्णय के कम में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट है कि याची की काउसलिंग के समय काउसलिंग के लिये निर्धारित रिक्तियों मे से चयन का अवसर दिया गया एवं याची द्वारा उसी कम में विकल्प प्रस्तुत किया जिसके अनुसार याची का पदस्थापन किया गया । याची की काउसलिंग एवं रिशफल परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त अभिस्तावना से प्राप्त अशार्थियों की काउसलिंग के मध्य एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका था । रिक्तियों की उपलब्धता एवं काउसलिंग के लिये रिक्तियों का निर्धारण समय–समय पर भिन्न होता है और यह भी आवश्यक नहीं कि सभी रिक्तियों को काउसलिंग के लिये शामिल किया जावे । रिक्तियों का निर्धारण विभाग की आवश्यकता एवं प्राथमिकतानुसार किया जाता है । व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय पद है और किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है । अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है ।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/मोनिका कुमारी – 19250–2018/2018 दिनांक– 19-12-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी /ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर